

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर०

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार...

खाता सं० 313 में खतेदार शेताकराम पि० देवाराज दत्त रिजार्ड है। जाची नाम उपलब्ध दस्तावेज परिनियम भाषांतर, राजनकटि में जाची का नाम सुलतानराम पि० देवाराज दत्त है। फतः गीता पि० देवाराज दे वि जाची का नाम शेताकराम पि० देवाराज के बजाय सुलतानराम पि० देवाराज लिखा जाने। रिपोर्ट प्रीमर की रीकॉर्ड साइट पेंडिंग है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक :- 15/12/2020  
15/12/20  
22R

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

उक्त किताब जांच उचित है।

16/12/20

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	म०उ/१२१	२०७५-७८	३१३	शेताकराम सु. देवाराज जाति माली	सुलतानराम सु. देवाराज जाति माली

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

16/12/20  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 2371

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वारंते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया .....

को सूचनाार्थ।

16/12/20  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी